न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. : / निगरानी/

निगरानी-3731/2018/राजगढ़/भू.रा.

01. उमराव सिंह आ0 ईशर जी

02. रामसिंह आ0 ईशर जी

03. नारायण सिंह आ0 ईशर जी

04. कमला बाई आ0 ईशर जी

05. सूरज बाई विधवा ईशर जी
समस्त आयु वयस्क, जाति अहीर,
निवासी – तलेन, तहसील पचौर,
ज़िला राजगढ़ .... **निगरानीकर्तागण**

अभिभाषक श्री .... द्वारा आज दिनांक 14/6/2018 को पेश। अधीक्षक

बनाम

प्रेमसिंह आ0 ईशर जी, आयु वयस्क
जाति अहीर, निवासी ग्राम तलैन,
तहसील पचौर, ज़िला राजगढ़ .... **गै़र निगरानीकर्तागण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता, 1959

महोदय,

यह कि, निगरानीकर्तागण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल, संभाग भोपाल के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक क्र. 382/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 जो अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सारंगपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अपील/अ–6/ 2008–09, आदेश दिनांक 30.10.2010 तथा नायब तहसीलदार, तलेन के प्रकरण क्र. 27/अ–6/2006–07 आदेश दिनांक 07.08.2008 के विरूद्ध पारित किया गया, से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक से निर्धारित समयावधि के अंदर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3731/2018 जिला–राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03-8-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री टी0 एस0 अहिरवार उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 382/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 4 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं ज़िसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाहय प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाहय मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	